

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939

No. 308] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

सा.का.िन. 397(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 में,—
  - (क) उपनियम (1) के परंत्क में,—
    - (i) खंड (ii) में, "वायुपत्तनों, पत्तनों" शब्दों के स्थान पर, "वायुपत्तनों, पत्तनों, खानों और परियोजना स्थलों" शब्द रखे जाएंगे ;
    - (ii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;
    - (iii) खंड (v) का लोप किया जाएगा ;
  - (ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

2642 GI/2017 (1)

- (ग) उपनियम (4) में, "आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा" शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/24/2017-एमवीएल]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. .....(अ), तारीख........ द्वारा किया गया था।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2017

- **G.S.R.** 397(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of ten days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.
- 2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.
- 3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

## **DRAFT RULES**

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 108,—
  - (a) in sub-rule (1), in the proviso,
    - (i) in clause (ii), for the words "airports, ports", the words "airports, ports, mines and project sites" shall be substituted;
    - (ii) clause (iii) shall be omitted;
    - (iii) clause (v) shall be omitted;
  - (b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted;
  - (c) in sub-rule (4), for the words "emergency duties and shall be specifically specified by State Governments", the words "such emergency and disaster management duties as may be specified by the Central Government" shall be substituted;
  - (d) sub-rules (5) and (6) shall be omitted.

[F. No. R1-11036/24/2017-M	۷LJ
----------------------------	-----

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

DE 11006/04/0015 NOTE

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* notification number G.S.R. \_\_\_\_\_(E) dated \_\_\_\_\_.